न्यायालय : माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2009/पुनरीक्षण.

1- गुरुपाल सिंह

2- गुरुदेव सिंह

पुत्रगण श्री चमेलाराम

निवासीगण ग्राम कमरा नं.

तहसील व जिला शिवपुरी (म0प्र0)

-- -- आवेदकगण

विरुद्ध

1- शिव प्रसाद पुत्र श्री [illegible] माथुर,
मुख्त्यारआम श्री मुकेश कुमार माथुर
पुत्र श्री शिवप्रसाद माथुर, निवासी
शांतिनगर, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

2- महिला हक्की बेवा मानसिंह

3- रमेश शिवहरे

4- सुरेश शिवहरे

5- शिवराम शिवहरे

6- पातीराम शिवहरे

7- राजाराम शिवहरे

8- कालीचरण शिवहरे

9- रामकाली शिवहरे

10- कामता किशोर शिवहरे

पुत्र व पुत्रीगण मानसिंह शिवहरे

11- हरगोविन्द पुत्र श्री श्यामलाल शिवहरे
समस्त निवासीगण पोहरी रोड, जिला
शिवपुरी (म0प्र0)

--- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक रिव्यू 225–पीबीआर/2009 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–6–2014	उभय पक्ष के अभिभाषकों को प्रकरण की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक गुरूपाल सिंह एवं गुरूदेवसिंह पुत्र चमेलाराम द्वारा यह पुर्नविलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 937–तीन/2003 में पारित आदेश दिनांक 10–5–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण में संलग्न इस न्यायालय के मूल आदेश की प्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजीकृत विकय पत्र विधि के प्रावधानों को अनदेखा कर निष्पादित किया जाता है, तो उससे केता को कोई स्वत्व अर्जित नहीं होते हैं और बिना वैधानिक स्वत्व अर्जन के किया गया नामांतरण विधिसंगत नहीं होता है। इसी आधार पर इस न्यायालय द्वारा मूल निगरानी में अपर आयुक्त द्वारा पारित विधिसंगत आदेश को स्थिर रखा गया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :– 1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता	

चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नही थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या

3. कोई अन्य पर्याप्त कारण

आवेदक द्वारा तर्क के दौरान ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो आदेश पारित करते समय उनकी जानकारी में नहीं थी, न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही बतलाई गई है। अतः आवेदक अभिभाषक द्वारा उपरोक्त तीनों आधारों में से कोई आधार पुर्नविलोकन आवेदन में प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, उनका निराकरण निगरानी प्रकरण में किया जा चुका है।

4/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य